(88)

संख्या–317/XXVIII(1)/2013-32(Hadwani)/2010

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
देहरादून ।

5693
GMC/L-1/वन भूमि

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी ~~जनवरी~~ 2013

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी स्थित वन भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित पत्र संख्या–4322/जी0एम0सी0/एल0–1/वन भूमि, दिनांक 18.12.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–1211/XXVIII(1)/2010-32(Haldwani) /2010, दिनांक 28.10.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी स्थित वन भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु डॉ0 आर0सी0पुरोहित, प्राचार्य,राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा इकाई, चन्दरनगर देहरादून।
2. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से समन्वय स्थापित करते हुए मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समस्त अभिलेख/नक्से सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।